बैंक गैरेंटी/लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा 110% सुरक्षा के माध्यम से खरीद समर्थन हेतु नीति

1. जोखिम का निर्धारण (फिक्सेशन ऑफ एक्पोजर)

   i) एकस्पोजर कंपनी की आवश्यकता एवं खरीद तथा कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों के अुसार तय होना है।

   योग्यता :

   ii) स्वामित्व या साझेदार फर्म 110% बीजी समर्थित नीति के तहत खरीद की सुविधा हेतु योग्य नहीं है।

   iii) एकल प्रस्ताव का मूल्य अधिमानतः रु.50 लाख से कम नहीं होना चाहिए।(एमएसएमई, कृषि और कुटीर उद्योग हेतु रु.10 लाख)

2. जमा होने वाले दस्तावेज

   प्रस्ताव देते समय इच्छुक ग्राहकों को करार पर हस्ताक्षर करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है:

   क) संस्था के अंर्नियम एवं बहिर्नियम

   ख) अंतिम 3 पूर्ण वित्तीय वर्षों हेतु अंकेक्षित लेखा खाते

   ग) संगठन की गतिविधियों पर संक्षिप्त प्रतिवेदन

   घ) निदेशकों/प्रवर्तकों का विवरण

   ङ) एमएसटीसी के माध्यम से खरीदी जानेवाली वस्तु का विवरण

   च) आयकर पैन

   छ) जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र

   ज) बैंक सीमा मंजूरी पत्र

   झ) कंपनी के निदेशकों द्वारा निम्नलिखित विवरणों हेतु पत्र :-

   i) क्या एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत पार्टी के खिलाफ कोई मामला आरंभ किया गया है या कोई अन्य आपराधिक कार्यवाही पार्टी के विरुद्ध लंबित है।

   ii) क्या पार्टी और किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभाग के पास कोई अदालती मामला(दीवानी या फौजदारी) लंबित है, यदि हां तो विवरण दें।

इन दस्तावेजों की प्रक्रिया व आवश्यक जांच के बाद इच्छुक पार्टी व एमएसटीसी लि. खंड 5 में उल्लिखित प्रक्रियागत शुल्क की प्राप्ति पर एमओए पर हस्ताक्षर करेंगे।

एमओए पर हस्ताक्षर के बाद, पार्टी को एमएसटीसी द्वारा दिए गए प्रपत्र में किसी अनुसूचित बैंक से बीजी जमा करना है। पार्टी द्वारा दिए गए खरीद हेतु प्रस्तावित बेंक द्वारा जारी बीजी पुष्टि (एसएफएमएस के माध्यम से) की प्राप्ति पर कार्यवाही की जाएगी।

3. सेवा शुल्क/मार्क अप:
   सेवा शुल्क/मार्क अप दर उपयोग अवधि, रोलओवर अवधि, पूर्व निर्धारित पे-बैक अवधि और न्यूनतम/अधिकतम उल्लेखित किसी अवधि के लिए ‘’प्रतिमाह या उसके भाग’’ पर होगी।

4. बर्हिप्रवाह/अंत:प्रवाह निधि पर ब्याज :
   आरटीजीएस पर ब्याज दर वार्षिक आधार पर घोषित होगा। ब्याज भी दिया जायेगा, यदि देय तिथि से पहले भुगतान प्राप्त होगा।

5. प्रक्रियागत शुल्क :
   एमओए हस्ताक्षर से पहले रु.5000/-+प्रयोज्य जीएसटी की गैर-वापस प्रक्रिया शुल्क द्वारा जमा की जानी है। (एमएसएमई, कृषि क्षेत्र हेतु रु.1000/-+ जीएसटीसी)

6. कृपया इच्छुक ग्राहक एमएसटीसी के नजदीकी कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक/शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। सभी विवरण एमएसटीसी के निगमित वेबसाईट www.mstcindia.co.in पर ‘संपर्क करें’ के तहत उपलब्ध होगा।